

हरिप्रकाश बनान गोविन्द

दावा संख्या : 11/2018

20-12-2019

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 पर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया कि वादी के उक्त वाद में भूमि साविक खसरा नम्बर 37 रकबा 13 बीस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 74 रकबा 0.15 हैकटयर वाले ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर के संबंध में गिन प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान होने की घोषणा का अनुतोष चाहा जबकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित है गिन प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि कभी किसी समिति को विक्रय नहीं की जिससे उक्त भूमि की कोई 90 ए की कार्यवाही नहीं हुई है तथा मान्य न्यायालय को उक्त वाद इस संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित व मान्य न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकारी नहीं होने के कारण वाद खारिज होने योग्य है अतः वाद खारिज फरमाया जावे ।

अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया कि प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी द्वारा उक्त भूमि सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय कर दिया जिस तथ्य से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा इन्कार नहीं किया गया ऐसी अवस्था में प्रार्थी इकरारनामे को रद्दीकार करते हैं तथा किसी काश्तकार द्वारा कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकार की अनुमति के गैर कृषि के उपयोग हेतु विक्रय किया जाता है तो जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) के तहत कृषक के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति खातेदार काश्तकार नहीं होने के उपरान्त भी घोषणा के लिए दावा कर सकता है तथा विधि अनुसार मान्य न्यायालय को उक्त वाद की श्रवणाधिकारिता प्राप्त है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया अप्रार्थी/वादी ने उक्त वाद भूमि साविक खसरा नम्बर 37 रकबा 13 बीस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 74 रकबा 0.15 हैकटयर वाले ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर के संबंध में गिन प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान होने की घोषणा के बावत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को विना सक्षम अधिकारी की अनुमति के गैर कृषि के उपयोग हेतु सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय कर दिया इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) के तहत कृषक के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 19.05.1975 की फोटो प्रति का अवलोकन करने से उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत है कि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा विवादग्रस्त भूमि के साविक खसरा नम्बर 37 का विक्रय सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति को कर दिया गया तथा उसी अनुक्रम ने प्रार्थी/वादी के हक में आवासीय प्लॉट संख्या 98 क्षेत्रफल 53.30 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है जो दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत है तत्पश्चात् पटवारी हल्का को आदेशित किया गया कि मोके की वास्तविक स्थिति जाँच कर न्यायालय में

उप-सचिव (वकील)

हरिप्रकाश बनाम गोविन्द

दावा संख्या : 11/2018

प्रेषित करे । पटवारी द्वारा विवादित खसरा नम्बर 74 रकबा 0.15 हेक्टर ग्राम बुद्धसिंहपुरा की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किये जाने पर प्रथमदृष्टया साबित है कि विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर चीलगाडी रेस्टोरेन्ट चल रहा है व उक्त खसरे के दोनों तरफ पक्की सडक बनी हुई है। कुछ भूमि पर चारदीवारी बनी हुई है तथा कुछ भूमि खाली पडी है तथा राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के नाम अंकित है परन्तु मौके पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य होना पटवारी ने रिपोर्ट मे अंकित नही कर उक्त भूमि पर आवासीय व व्यवसायिक गतिविधि होना बताया है ।

इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। परन्तु पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर चीलगाडी रेस्टोरेन्ट चल रहा है उक्त खसरे के दोनों तरफ पक्की सडक बनी हुई है। कुछ भूमि पर चारदीवारी बनी हुई है तथा कुछ भूमि खाली पडी है ऐसी अवस्था मे साबित है कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नही हो रहा है इसलिए वादी का वाद इस न्यायालय मे चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो बादतकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को सुनाया गया ।

67  
उप-खण्ड अधिकारी  
बयपुर (द्वितीय)

